पशुओं के अधिकार और उनके सम्बन्ध में आदेश

इस्लाम दीन-ए- रहमत है, उसने जिस प्रकार ग़रीबों, मुहताजों, बेकसों, और दूसरे इसानों के साथ हमदर्दी की तालीम दी है वैसे ही जानवरों के साथ भी पूर्ण रूप से अच्छे व्यवहार और प्रेम व दयालूता पूर्ण बरताव का आदेश दिया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अल्लाह तआला ने उन्हें इन्सानों की ख़िदमत व सेवा और लाभ के लिए पैदा किया है मगर उनसे लाभ लेने की भी सीमाऐं तय हैं। जिनका ध्यान रखना लाज़िम है। उनके साथ कोई ऐसा रवैया ना बरता जाए जिस से सख़्त दिल का आभासा होता हो। इस पृष्टभूमि में निम्न लिखित तजावीज़ (सुझाव) मंजूर की जाती हैः

1-प्रत्येक जानवर को उसकी फ़ितरत यानि प्राकृतिक स्वभाव के अनुसाार भोजन (चारा) दिया जाना चाहिए, फिर भी जानवरों को गोश्त (माँस) के घटक (अजज़ा) पर आधारित भोजन देना (पालन पोषण) जाइज़ है शर्त यह है कि वह नापाक और हानिकारक न हो।

2-इनसान और जानवरों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो तो दूध और गोश्त में बढ़ोतरी के लिए जानवरों को इन्जेक्शन लगाना ठीक है, अलबत्ता दूध निकालने में जानवर के स्वास्थ्य और उसके बच्चे का ध्यान रखा जाए।

3-अगर जानवरों में ग़ैर जिन्स यानि अलग नस्ल से मिलाप के नतीजे में बच्चा पैदा हो तो वह बच्चा मादा के आधीन होगा।

नोटः इमाम शाफ़ई के नज़दीक बच्चा नर के मादा में से जो ख़सीस हो उसके अधीन होगा जैसे बकरी और कुत्ते के मिलाप से पैदा हुआ तो कुत्ते के अधीन होगा (मुफ्ती उमर बिन यूसुफ, कोकनी, जामिआ अरबिया श्रीवधर्न)।

4-जानवरों के मुनासिब खाने-पीने की उचित व्यवस्था के साथ तकलीफ़ से बचाते हुए उन को खूबसूरती के तौर पर पिंजरे आदि में रखने की गुंजाइश है।

5-केवल शौक़ की पूर्ति के लिए ख़ूंखार और ज़हरीले मूज़ी जानवरों को पालना ठीक नहीं दरिंदा सिफ़त है।

6-इन्सानी लाभ के लिए जानवरों पर चिक्तिसीय परिक्षण किए जा सकते हैं।

7-दवाओं के लिए जानवरों को बेहोश करके उनके किसी अंग को निकालना या उनके शरीर में कोई औरज़ार रख देना जाइज़ है। शर्त यह है कि यह कार्य उसके लिए उम्र भर की तकलीफ़ का कारण न हो।

8-जानवरों की नस्ल की सुरक्षा (हिफ़ाज़त) वातावरण की रक्षा या किसी और उद्देश्य से सरकार की ओर से किसी जानवर के शिकार पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए तो उस क़ानून का पालन किया जाना चाहिए।

9-अगर किसी हलाल जानवर को ज़िब्ह करने से सामप्रदायिक सौहार्द को हानि पहुँचती हो या क़ानून्न

उसके ज़िब्ह पर प्रतिबन्ध हो तो उसकी वजह से वह हलाल जानवर हराम नहीं होगाः अलबत्ता ऐसे जानवर को ज़िब्ह करने से मुसलमानों को सावधानी (एहतियात) करनी चाहिए।

10-जंगली जानवर या परिन्दे जिनका शिकार करना सरकारी क़ानून के अनुसार मना हो तो ऐसे क़ानून का पालन करना चाहिए।

11-संक्रमण (जरासीमि) व वबाई (स्पर्श से फैलने वाले) छूत दार रोगों को रोकने के लिए प्रभावित जानवरों को मारा जा सकता हैं, लेकिन ज़िन्दा जलाना या दफन करना शरीयत के अनुसार जाइज़ नहीं।

12-ज़हरीले मूज़ी जानवरों की तकलीफ़ से बचने के लिए उन्हें मारना सही है। शर्त यह है कि उनसे तकलीफ़ पहुँचने का अन्देशा (ख़तरा) हो।

☆☆☆

नोटः 27 वां फ़िक़्ही सेमिनार (मुम्बई) दिनांक 8-8 रबीउल अव्वल 1439 हि0 - 25-27 नवम्बर 2017 ई0